बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री जयप्रकाश मौर्य, तत्कालीन सहायक गोदाम प्रबंधक/गुणवत्ता नियंत्रक (प्रतिनियुक्ति के आधार पर) बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, लखीसराय सम्प्रति निलम्बित आपूर्ति निरीक्षक, मुख्यालय, उप निदेशक (खाद्य), सारण प्रमंडल छपरा के विरूद्ध निगम निदेशों की अवहेलना करने तथा कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने से संबंधित आरोपों के लिए प्रमुख प्रशासन निगम मुख्यालय, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय ज्ञापंन ज्ञापांक– 2350 दिनांक– 16.05.2017 द्वारा श्री मौर्य के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए उप निदेशक खाद्य, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन तथा इसकी विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा के क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि यद्यपि श्री मौर्य के विरूद्ध सी0एम0आर0 की क्षति/लम्बित नहीं है तदापि उनके द्वारा काफी विलम्ब से प्रभार सौपा गया जो स्पष्ट रूप से निगम निदेशों की अवहेलना करने तथा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप को प्रमाणित करता है । अतः उक्त प्रमाणित आरोपो को अभिलिखित करते हुए विभागीय पत्रांक–, 6249 दिनांक– 08.12.2017 द्वारा श्री मौर्य से द्वितीय कारणपृच्छा / स्पष्टीकरण की मांग की गयी ।

3. उक्त के क्रम में श्री मौर्य के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित किया गया । समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा की समीक्षा के क्रम में इसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया ।

4. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री जयप्रकाश मौर्य, तत्कालीन सहायक गोदाम प्रबंधक/गुणवत्ता नियंत्रक (प्रतिनियुक्ति के आधार पर) बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, लखीसराय सम्प्रति निलम्बित आपूर्ति निरीक्षक, मुख्यालय, उप निदेशक (खाद्य), सारण प्रमंडल छपरा को उनके विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(VI) के तहत दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड संसूचित किया जाता है तथा उनके विरूद्ध संचालित उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है एवं तत्काल प्रभाव से निलम्बन मुक्त किया जाता है ।

5. श्री मौर्य को निलम्बन अवधि के लिए जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा ।

15/6
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0लखीसराय–12/2017 2888 /खाद्य,पटना/दिनांक 18.06.18

प्रतिलिपि–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/सारण छपरा/उप निदेशक, खाद्य, सारण प्रमंडल छपरा/उप निदेशक, खाद्य, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर–सह– संचालन पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, लखीसराय–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी–03 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री जयप्रकाश मौर्य, तत्कालीन सहायक गोदाम प्रबंधक/गुणवत्ता नियंत्रक (प्रतिनियुक्ति के आधार पर) बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/18
सरकार के अपर सचिव।

D:\backup\Year_2016\PK\sec-48 (08-09-2016)\sec 8\Off_ord .doc AKS